रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 13 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 22, 1944 शक संवत्) [संख्या 33

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	739–744	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	605–634	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	417–420	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

21 जुलाई, 2022 ई0

सं0 416/दो-4-2022-26/2(5)/2011–उप निबन्धक (Admin Misc-1)/संयुक्त निबन्धक Admin (A-1& A-4), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पदों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती–				
1	मुकेश कुमार सिंघल, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुरादाबाद।	7774/IV-2680/Admin(A-1) दिनांक 24.06.2022	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टीडीज इन एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी, राजस्थान।	एल0एल0एम0	2008
2	हिमांशु वर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, रमा बाई नगर।	8390/IV-4620/Admin(A-1) दिनांक 12.07.2022	राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	एल0एल0एम0	2018
3	सौम्या अरूण, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), वाराणसी।	8486/IV-5133/Admin(A-1) दिनांक 14.07.2022	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।	एल0एल0एम0	2020
4	विकास कुमार सिंह, सिविल जज (सी0डि0), हापुड़।	8497/IV-4421/Admin(A-1) दिनांक 14.07.2022	राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	एल0एल0एम0	2017

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

05 जुलाई, 2022 ई0

सं0 809/22-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीशगण (1) श्री संजय कुमार पचौरी, (2) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, (3) श्रीमती सरोज यादव, (4) श्री मो0 असलम, (5) श्री अनिल कुमार ओझा, (6) श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), (7) श्री सैयद आफताब हुसैन रिजवी, (8) श्री अजय त्यागी तथा (9) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–1, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 21 जून, 2022 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

सं0 809(2)/22-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–श्री सैयद वैज मियाँ, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 04 जनवरी, 2023 तक के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 21 जून, 2022 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्ति

24 जनवरी, 2022 ई0

सं0 189 अधिष्ठान(1-13)/वि0प0-267/84–श्रीमती मालती शाक्य, अनुसचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अपरान्ह् से सेवानिवृत्त हो जायेंगी।

31 जनवरी, 2022 ई0

सं0 236 अधिष्ठान (1)/वि0प0267/84–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 412/(अधि0)वि0प0-267/84 दिनांक 22 फरवरी, 2021 के क्रम में श्री महेश प्रसाद शुक्ल, निजी सचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

नियुक्ति

01 फरवरी, 2022 ई0

सं0 239 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2872/(अधि0)वि0प0-267/84 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के द्वारा रिक्त हुये अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-208700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की

संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 (67700-208700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 240 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 239/(अधि0)वि0प0-47/20 दिनांक 01 फरवरी, 2022 के द्वारा श्री संजय कुमार के अनु सचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री रमेन्द्र भाई पटेल, समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 241 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 113/(अधि0)वि0प0-20/12 दिनांक 17 जनवरी, 2022 के द्वारा श्री राजेश कुमार के निजी सचिव श्रेणी-4 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम 30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री विजय कुमार मेहरोत्रा, निजी सचिव श्रेणी-2 को निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 242 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 114/(अधि0)वि0प0-20/12 दिनांक 17 जनवरी, 2022 के द्वारा श्री रवि प्रकाश मिश्र के निजी सचिव श्रेणी-4 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता अग्रवाल, निजी सचिव श्रेणी-2 को निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 243 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 241/(अधि0)वि0प0-47/20 दिनांक 01 फरवरी, 2022 के द्वारा श्री विजय कुमार मेहरोत्रा के निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री प्रदीप कुमार रघुवंशी, निजी सचिव श्रेणी-1 को निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-208700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 244 अधिष्ठान (1)/वि0प0-47/20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 242/(अधि0)वि0प0-47/20 दिनांक 01 फरवरी, 2022 के द्वारा श्रीमती सुनीता अग्रवाल के निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय

सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री बॉके बिहारी, निजी सचिव श्रेणी-1 को निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-208700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त (सामान्य) विभाग

अनुभाग-2
विविध
14 मार्च, 2022 ई0

सं0 1/2022/जी-2-13/दस-2022-59/81–जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशल इन्शोरेन्श रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) कन्ट्रीब्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशल इन्शोरेन्श फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

आज्ञा से,
एस राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

NOTIFICATION

No. 1/G-2-13/X-2022-59-81

Dated Lucknow *March 14*, 2022

No. 1/G-2-13/X-2022-59-81–In accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 7.1% (seven point one percent) with effect from 01st January, 2022 to 31st March, 2022 during the Financial year 2021-2022, on all accounts. This rate will be in force *w.e.f.* 01st January, 2022.

By order,
S. Radha Chauhan,
Additional Chief Secretary.

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4
कार्यालय-ज्ञाप
18 जुलाई, 2022 ई0

सं0 1294/77-4-22-23 यूपीसीडा/22–उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत रहे स्व0 नसीम अहमद की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्रांक 736/एसआईडीए/स्था0पी0एफ0-ग-537, दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान

के दृष्टिगत श्री तौसीफ अहमद पुत्र स्व0 नसीम अहमद की मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200.00-20,200.00 एवं ग्रेड पे-रु0 2,000.00 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है–

(1) श्री तौसीफ अहमद को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) श्री तौसीफ अहमद द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थी। यदि श्री तौसीफ अहमद द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(3) श्री तौसीफ अहमद द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(4) श्री तौसीफ अहमद की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी

2–उपर्युक्त शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश राजय औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

08 जून, 2022 ई0

सं0-राज्य कर-1-735/11-2022-08/2021–राज्य कर विभाग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रुपये 15,600.00–39,100.00 ग्रेड पे रुपये 5,400.00/–(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10)) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रुपये 15,600.00–39,100.00 ग्रेड पे रुपये 6,600.00/–(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके उपायुक्त, राज्य कर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे–

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1.	2500	श्री शशि भूषण त्रिपाठी
2.	2503	श्री पंकज मौर्या
3.	2505	श्री उमा शंकर विश्वकर्मा

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 22, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

सं0 6076(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम परसोहिया में रकबा 0.061644 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	परसोहिया	37	0.0040879
2					38	0.043336
3					50	0.0047835
4					52	0.0094366
					योग..	**0.061644**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION
June 24, 2022

[under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6076(i)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 0.061644 hectare of land is required in the Village-Parsohiya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also ofter consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc.* facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Parsohiya	37	0.0040879
2					38	0.043336
3					50	0.0047835
4					52	0.0094366
					Total . .	**0.061644**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 6077(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम पिपरा बारी में रकबा 1.8036062 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा बारी	67	0.0118289
2					69	0.0417873

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
3	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा बारी	70	0.0523948
4					71	0.2132203
5					72	0.0948779
6					74	0.3279853
7					95	0.1641138
8					96	0.1543297
9					98	0.041159
10					100	0.0008148
11					88	0.0037582
12					89	0.2408526
13					91	0.2224589
14					124	0.0129758
15					125	0.1953209
16					123	0.0055997
17					126	0.0201283
					योग . .	**1.8036062**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6077(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 1.8036062 hectare of land is required in the Village-Pipra Bari, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-

Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector, Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also ofter consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc.* The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc.* facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra Bari	67	0.0118289
2					69	0.0417873

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra Bari	70	0.0523948
4					71	0.2132203
5					72	0.0948779
6					74	0.3279853
7					95	0.1641138
8					96	0.1543297
9					98	0.041159
10					100	0.0008148
11					88	0.0037582
12					89	0.2408526
13					91	0.2224589
14					124	0.0129758
15					125	0.1953209
16					123	0.0055997
17					126	0.0201283
					Total . .	**1.8036062**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 6078(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम पीडिया बुजुर्ग में रकबा 1.493666 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पीडिया बुजुर्ग	22	0.2923074
2					21	0.04
3					24	0.504498
4					29	0.0526437
5					32	0.1933122
6					32/139	0.1830872
7					35	0.02207484
8					37	0.0070691
					योग . .	**0.493666**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6078(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 1.493666 hectare of land is required in the Village-Pidiya Bujurg, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-

Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector, Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc.* facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pidiya Bujurg	22	0.2923074
2					21	0.04
3					24	0.504498
4					29	0.0526437
5					32	0.1933122
6					32/139	0.1830872
7					35	0.02207484
8					37	0.0070691
					Total . .	**1.493666**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 6079(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम जमोहनी में रकबा 1.6512474 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहनी	103	0.0835852
2					104	0.0319672

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
3	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहनी	105	0.039
4					108	0.1565913
5					110	0.0588055
6					118	0.0034508
7					131	0.1523411
8					133	0.1204681
9					134	0.086
10					135	0.1120916
11					139	0.0230474
12					140	0.5419604
13					142	0.0108
14					164	0.2311388
					योग . .	**1.6512474**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification]

No. 6079(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 1.6512474 hectare of land is required in the Village-Jamohani, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-

Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector, Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc.* The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc.* facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohani	103	0.0835852
2					104	0.0319672

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohani	105	0.039
4					108	0.1565913
5					110	0.0588055
6					118	0.0034508
7					131	0.1523411
8					133	0.1204681
9					134	0.086
10					135	0.1120916
11					139	0.0230474
12					140	0.5419604
13					142	0.0108
14					164	0.2311388
					Total . .	**1.6512474**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, Specified in the preliminary notification or create anty encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 6080(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद

सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, तप्पा–असनार ग्राम–बरगदवा में रकबा 3.8919964 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बरगदवा	11	0.040
2					16	0.1242691
3					18	0.1047698
4					19	0.0514854
5					20	0.1041495
6					40	0.0968763
7					39	0.1084709
8					41	0.0711303
9					42	0.1413718
10					44	0.0651585
11					36	0.0042402
12					35	0.2834161
13					34	0.1291789
14					48	0.1349888
15					50	0.1176646
16					25	0.0061856
17					32	0.0780166
18					33	0.5574177
19					52	0.2883168
20					53	0.2191487
21					150	0.2135986
22					151	0.297003
23					152	0.1144575
24					154	0.1287056
25					155	0.0689259
26					156	0.0995183
27					149	0.0118764

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
28	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बरगदवा	159	0.2012139
29					160	0.0304416
					योग . .	**3.8919964**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification]

No. 6080(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthnagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 3.8919964 hectare of land is required in the Village-Bargadwa, Tappa-Asnar, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector, Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity etc. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bargadwa	11	0.040
2					16	0.01242691
3					18	0.1047698
4					19	0.0514854
5					20	0.1041495
6					40	0.0968763
7					39	0.1084709
8					41	0.0711303

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bargadwa	42	0.1413718
10					44	0.0651585
11					36	0.0042402
12					35	0.2834161
13					34	0.1291789
14					48	0.1349888
15					50	0.1176646
16					25	0.0061856
17					32	0.0780166
18					33	0.5574177
19					52	0.2883168
20					53	0.2191487
21					150	0.2135986
22					151	0.297003
23					152	0.1144575
24					154	0.1287056
25					155	0.689259
26					156	0.0995183
27					149	0.0118764
28					159	0.2012139
29					160	0.0304416
					Total . .	**3.8919964**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, Specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

05 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1173/जी0-49ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर परगना पाटन जनपद उन्नाव के ग्राम गड़रियाखेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1174/जी0-38ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज जनपद कन्नौज के ग्राम गौरी बांगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1175/जी0-154/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पटियाली परगना निधपुर जनपद कासगंज के ग्राम जंघई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1185/जी0-167-ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

11 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1232/जी0-230/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिराथू परगना कड़ा जनपद कौ ाम्बी के ग्राम मलाक पचम्भा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1233/जी0-237/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पीलीभीत जनपद पीलीभीत के ग्राम दहगला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1234/जी0-366/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के ग्राम मुड़िया कुण्डरी ऐ0 में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1235/जी0-237/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पीलीभीत जनपद पीलीभीत के ग्राम सिमरिया अनूप में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1236/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के ग्राम मुड़िया मलूकपुर एहतमाली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1237/जी0-166ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम के ावापुर खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1238/जी0-48/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम खैरपुर जगजीवन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

19 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1327/जी0-38/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ परगना सकरावा जनपद कन्नौज के ग्राम मिश्राबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1328/जी0-183/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गुन्नौर परगना रजपुरा जनपद सम्भल के ग्राम मेरूआ हसनगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1329/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापार जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	गोरखपुर	खजनी	धुरियापार	1—नरायनपुर एहतमाली तप्पा बेलघाट 2—लाखुन खुर्द तप्पा शाहपुर

सं0-1330/जी0-178/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना मगहर पश्चिम जनपद सिद्धार्थनगर के लोहरौली खुर्द तप्पा रूधौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1331/जी0-29/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील डुमरियागंज परगना रसूलपुर जनपद सिद्धार्थनगर के जिमडी, तप्पा सगरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1332/जी0-170/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिलग्राम जनपद हरदोई के ग्राम कोइलरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1333/जी0-163/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0

1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई परगना बंगर जनपद हरदोई के ग्राम भैनामऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1334/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधुना जनपद औरैया के ग्राम कटिका में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1335/जी0-161-बी/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पैलानी जनपद बांदा के ग्राम खजुरी बांगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

20 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1363/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के ग्राम गदईखेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1364/जी0-153/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर जनपद बरेली के ग्राम सितारगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1365/जी0-212/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सफीपुर जनपद उन्नाव के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैंः—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील/परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	उन्नाव	सफीपुर	1—बरौकी 2—रैयामऊ

सं0-1366/जी0-157/2021-22(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम परिन्दाचक, तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1367/जी0-201/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कान्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम बसुहरा, तप्पा चौरासी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1368/जी0-362ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवां, परगना हवेली, जनपद महराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	महराजगंज	नौतनवां	हवेली	1—देवीपुर कला, तप्पा कटहरा 2—गंगापुर, तप्पा कटहरा 3—कांधपुर, तप्पा कटहरा

सं0-1369/जी0-181/66/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना हसनपुर मगहर, जनपद गोरखपुर के ग्राम हरपुर उर्फ दुबरिया तप्पा खजुरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

21 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1392/जी0-166ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम हरदी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1393/जी0-166ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, परगना फिरोजाबाद, जनपद लखीमपुर खीरी के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	लखीमपुर खीरी	धौरहरा	फिरोजाबाद	1—गैसापुर 2—राजापुर

26 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1431/जी0-355/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अमरोहा, जनपद अमरोहा के ग्राम मुजफ्फरपुर पट्टी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1432/जी0-166ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, परगना फिरोजाबाद, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मुड़िया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1433/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, परगना पैला, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम घुघुलपुरबुजुर्ग में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1434/जी0-166ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, नवसृजित तहसील मितौली, परगना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बिलबिलाई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1438/जी0-166ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मूसेपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

28 अप्रैल, 2022 ई0

सं0-1482/जी0-152ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर, परगना अल्देमऊ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम बनगवाँडीह में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1497/जी0-175/59-91—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के ग्राम मालो में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1498/जी0-156/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिलासपुर, जनपद रामपुर के ग्राम महतोश में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1499/जी0-29/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील इटावा, परगना बांसी पश्चिम, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भानिचरा, तप्पा खुनियांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1500/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम अनुरुद्धपुर तप्पा नकौड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1501/जी0-170/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलग्राम, परगना कछन्दऊ, जनपद हरदोई के ग्राम मोहब्बतपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1502/जी0-49A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर, परगना पनहन, जनपद उन्नाव के ग्राम बैजुआमऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1503/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, परगना पैला, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सेमरई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1504/जी0-249/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना खुर्जा, जनपद बुलन्द ाहर के ग्राम धरारी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1505/जी0-152/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना महोबा, जनपद महोबा के ग्राम भामसेरा फुटेरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1506/जी0-155/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम कल्हापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1507/जी0-155/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम समसापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1508/जी0-266ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहजनवां, परगना हसनपुर मगहर, जनपद गोरखपुर के ग्राम चड़रांव तप्पा औरंगाबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1509/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम राईपुर एहतमाली तप्पा बेलघाट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—20 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 22, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE OF WITHDRAWAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ORIGINAL JURISDICTION]

Election Petition no. 17 of 2022

(*U/s* 109(2) *of the R. P. Act, 1951*)

Shri Jaswant Singh son of Late Mani Ram.....*Petitioner.*

VERSUS

Rishi Pal Singh son of Hargyan Singh.....*Respondent.*

Election Petition against the election of Rishi Pal Singh to the Uttar Pradesh State Legislative Council (MLC)-2022 from the 32, Aligarh Local Authorities Parliamentary Constituency.

Whereas an Election Petition has been presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is fixed for hearing on 26th day of September, 2022.

Any one or other person desires of supporting or opposing the order/decision on the said withdrawal application, should appear before the court in person or by his advocate on or before the date fixed for the hearing of the withdrawal application.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on the within said time, the withdrawal application will be heard and determined.

Given under my hand and the seal of the Court this 04th day of May, 2022.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,
High Court, Allahabad.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

19, महर्षि दयानन्द मार्ग,
प्रयागराज।

संख्या–3642 / 2022
08-08-2022

फोन : (0532) 2623501
फैक्स : (0532) 2420068
दिनांक : 31-07-2022

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31-07-2022 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन में श्री मधुसूदन त्रिपाठी, एडवोकेट, गोरखपुर एवं श्री पाँचू राम मौर्य, एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर एवं श्री जय नारायण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ को उपाध्यक्ष पर नियमानुसार निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री मधुसूदन त्रिपाठी, एडवोकेट, गोरखपुर का कार्यकाल दिनांक 01-08-2022 से 31-01-2023 तक तथा श्री पाँचू राम मौर्य का कार्यकाल दिनांक 01-02-2023 से 31-07-2023 तक अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी रहेगा तथा श्री जय नारायण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ का कार्यकाल दिनांक 01-08-2022 से 31-07-2023 तक उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में प्रभावी रहेगा।

श्री मधुसूदन त्रिपाठी, एडवोकेट, गोरखपुर एवं श्री पाँचू राम मौर्य, एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद एवं श्री जय नारायण पाण्डेय, एडवोकेट, लखनऊ का पता फोन नम्बर सहित निम्नवत् है :

1–श्री मधुसूदन त्रिपाठी, एडवोकेट अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 अलहदादपुर, नियर ओल्ड सब पोस्ट आफिस, गोरखपुर।	ई–मेल : adv.mstgkp@gmail.com मोबाइल : 9415259385, 9793585444 पंजीकरण संख्या : यू0पी0 01242 / 1980
2–श्री पाँचू राम मौर्य, एडवोकेट अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 मकान नं0 17 / 21, बेल्वेडियर प्रेस कम्पाउण्ड, मोती लाल नेहरू रोड, प्रयागराज।	ई–मेल : prmaurya365@gmail.com मोबाइल : 9450608281, पंजीकरण संख्या : यू0पी0 01745 / 1980
1–श्री जय नारायण पाण्डेय, एडवोकेट उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, नि0 मकान नं0 19 / 303, न्यू मल्हार, सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।	ई–मेल : adv.jaynarayanpandey2011@gmail.com मोबाइल : 9839260115, 9415002276 पंजीकरण संख्या : यू0पी0 01426 / 1998

अजय कुमार शुक्ल
सदस्य–सचिव / निर्वाचन अधिकारी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-नवयुग टैक्टर्स, कसया रोड छावनी पडरौना जनपद कुशीनगर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 10-07-2008 से श्री अभिनव कुमार एवं श्री संजीव कुमार उर्फ मुकेश कुमार जी साझेदार थे उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण सं0 जी-2434 पर पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 01-04-2022 से श्री संजीव कुमार उर्फ मुकेश कुमार जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्रीमती कल्पना यादव जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

(अभिनव कुमार/साझेदार)
मेसर्स-नवयुग टैक्टर्स,
कसया रोड,
छावनी पडरौना,
जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आशा कोल्ड स्टोरेज, सुल्तानपुर किशनी मैनपुरी में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्रीमती आशादेवी, श्री आलोक कुमार, श्रीमती राधा, श्री विनय यादव, श्रीमती रचना यादव निवासीगण सुल्तानपुर किशनी, जिला मैनपुरी सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 06 अगस्त, 2021 को संचालन की थी। दिनांक 02 अगस्त, 2022 से श्री शिवराम सिंह पुत्र श्री जिलेदार सिंह निवासी सुल्तानपुर किशनी, जिला मैनपुरी फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्रीमती आशादेवी, श्री आलोक कुमार, श्रीमती राधा, श्री विनय यादव, श्रीमती रचना यादव, श्री शिवराम सिंह हम सभी साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे।

श्रीमती आशादेवी,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कॉनसैप्ट कॉन्सिर्वस एण्ड एक्जीक्यूटर्स, ई 1 साईट बी0यू0पी0एस0आई0डी0सी0 सिकंदरा, आगरा में स्थित है एजी–12302 उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती सोनल छाबरा पत्नी श्री गगन छाबरा, श्री गगन छाबरा पुत्र श्री सुरेश छाबरा, श्री वतसल आहूजा पुत्र श्री विजय आहूजा, श्री नरेश सहगल पुत्र स्व0 एम एल सहगल, श्री शशांक सहगल श्री नरेश सहगल, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 18 अप्रैल, 2008 को संचालन की थी आज दिनांक 01जुलाई, 2022 को वत्सल आहूजा अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म को श्री गगन छाबरा, श्रीमती सोनल छाबरा, श्री नरेश सहगल, श्री शशांक सहगल संचालित करेंगे।

गगन छाबरा,
साझेदार,
मेसर्स कॉनसैप्ट कॉन्सिर्वस एण्ड,
एक्जीक्यूटर्स,
ई 1 साईट बी0 यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
सिंकदरा आगरा।

सूचना

मेसर्स–श्री राम कृष्ण, पता–शॉप नं0 जी-3 एण्ड जी-4, जी0एफ0दि ब्लूसम काम्पलेक्स, प्लाट नं0 188, खसरा नं0 318 ग्राम उत्तरधौना, लखनऊ उ0प्र0 226028 पंजीकरण संख्या LUC/0012157 में 1-श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री उदय नारायण सिंह निवासी ग्राम दहिलामऊ, नियर एफ0सी0आई0 गोदाम, पोस्ट सदर, जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0 2-श्री अर्नव पाण्डेय पुत्र श्री मंगल प्रसाद पाण्डेय निवासी पाण्डेय का पुरवा, मीरा भवन, जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0-230001, दो साझीदार थे। उक्त फर्म में श्री अर्नव पाण्डेय का शेयर 50 प्रतिशत था 30 जून 2022 को स्वेच्छा से साझेदारी से बाहर हो गये हैं। नये साझीदार 1-श्री उदय नारायण सिंह राजपूत पुत्र स्व0 तेज पाल सिंह निवासी 126 एफ0सी0आई0 गोदाम, दहिलामऊ, शुकुलपुर, जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0-230001, दिनांक 30 जून, 2022 को फर्म में सम्मिलित किये गये।

साझेदार,
अमित कुमार सिंह,
मेसर्स–श्री राम कृष्ण,
जिला–लखनऊ।

सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स कानपुर कैरियर्स पता 7/32 तिलक नगर कानपुर–208002 की भागीदार श्रीमती मंजु मिश्रा पत्नी श्री विष्णु चन्द्र मिश्र का देहान्त दिनांक 31 मार्च, 2019 को हो गया था। अब फर्म में तीन भागीदार शेष हैं। 1-श्री विष्णु चन्द्र मिश्र (भागीदार) 2-श्री गौरव मिश्र (भागीदार) 3-श्री सौरव मिश्र (भागीदार)।

विष्णु चन्द्र मिश्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाई स्कूल के अंक-पत्र का प्रमाण-पत्र में मेरे पिताजी के नाम की स्पेलिंग (Avdesh Yadav) अंकित हो गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरे पिता जी के नाम की सही स्पेलिंग (Avadhesh Yadav) है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता जी का ही है। भविष्य में मेरे पिता जी के नाम की स्पेलिंग (Avadhesh Yadav) नाम से जाना और पहचाना जाये।

ऋषभ यादव,
पता 5/10, खुल्दाबाद,
भुसौली टोला, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।